रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2018/माघ 23, 1939
No. 54] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2018/MAGHA 23, 1939

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण] विनियम, 2018

फा. सं. 1–8/2017(सी.पी.पी.–II).—निम्नलिखित को सर्व साधारण की जानकारी लिए प्रकाशित किया जाता है:—

भूमिका

जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग **(वि.अ.आ.)** उच्चतर शिक्षा संस्थानों **(एच.ई.आई.)** में उच्चतर शिक्षा के मानकों का निर्धारण एवं संवर्धन करने तथा बनाये रखने के लिए अधिदेशित है।

जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे परिवेश निर्माण करने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करता है जिसके द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थान वैश्विक उत्कृष्टता के संस्थान बन सकें।

जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस बात को मान्यता प्रदान करता है कि स्वायत्तता उच्चतर शिक्षा में संस्थागत उत्कृष्टता तथा संवर्धन के लिए अत्यावश्यक है तथा विनियामक संगठन को उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता की दिशा में बेहतर कार्य निष्पादन कर रहे संस्थानों को सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है।

इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, **1956** की धारा **12** के खण्ड (ञ) के साथ पठित धारा **26** की उपधारा **(1)** के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :–

1. **लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन**

1. इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण) विनियम, **2018** कहा जायेगा।

2. ये अधिनियम ऐसे सभी विश्वविद्यालय जो केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित हैं तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, **1956** की धारा **3** के अधीन स्थापित तथा मान्यता प्राप्त मानित विश्वविद्यालय हैं।

3. ये भारत के राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तिथि से लागू किए जाएंगे।

2. परिभाषाएं :–

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) ''प्रत्यायन'' का अभिप्राय मान्यता प्राप्त प्रत्यायन एजेंसियों द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन अथवा निर्धारण अथवा किसी अन्य वैज्ञानिक पद्धति द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थान अथवा कार्यक्रम में अपनाई गई पद्धति के परिणामस्वरूप उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया से है जो अकादमिक गुणवत्ता के बेंचमार्क मानदण्डों के अनुरूप हो।

(ख) ''मूल्यांकन'' का अभिप्राय वास्तविक अवसंरचना, मानव संसाधन (संकाय सहित) एवं प्रशासन पाठ्यक्रम, प्रवेश तथा छात्र मूल्यांकन प्रक्रिया तथा अकादमिक कार्यक्रम के प्रारंभ किए जाने से पूर्व अभिशासन संरचना के संबंध में उच्चतर शिक्षा संस्थान **(एच.ई.आई)** की दक्षता की जाँच करने अथवा सुनिश्चित करने में निहित प्रक्रिया से है।

(ग) ''आयोग'' से अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, **1956** में यथा परिभाषित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है।

(घ) ''सी.जी.पी.ए.'' का अभिप्राय संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत ग्रेडिंग पद्धति से है, जिसे एन.ए.ए.सी. अथवा प्रत्यायन प्रदान करते समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अधीन इससे संबंधित किसी अन्य निर्धारण तथा प्रत्यायन एजेंसी, (ए.ए.ए) द्वारा अपनाया जाता है।

(ङ) ''राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद **(एन.ए.ए.सी)**'' का अभिप्राय आयोग द्वारा देश में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए आयोग द्वारा स्थापित निकाय से है।

(च) ''मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा'' माध्यम का अभिप्राय शिक्षक तथा छात्रों के बीच दूरी की समस्या को दूर कर ज्ञानार्जन के लचीले अवसर प्रदान करने के माध्यम से है, जिसे वे विविध मीडिया प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, ऑन–लाइन तथा उच्चतर शिक्षा संस्थान में यदा– कदा आमुख बैठक में चर्चा करके सीखते हैं अथवा शिक्षण–अधिगम अनुभव के साथ व्यवहारिक अथवा कार्य अनुभव प्राप्त करते हैं।

(छ) ''टाइम्स उच्चतर शिक्षा/क्यू.एस. रैंकिंग'' से अभिप्राय टाइम्स उच्चतर शिक्षा **(टी.एच.ई)** पत्रिका तथा क्वैक्वारैली साइमंडस् (क्यू.एस.) द्वारा विश्वविद्यालय रैंकिंग के वार्षिक प्रकाशन से है।

(ज) ''विश्वविद्यालय'' का अभिप्राय केन्द्रीय, प्रान्तीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के अधीन अथवा निगमित अथवा स्थापित विश्वविद्यालय तथा मानित विश्वविद्यालय संस्थान से है;

ऐसे शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं किए गए हैं लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, **1956** में परिभाषित हैं तथा इन विनियमों के साथ सुसंगत नहीं हैं, उनका उस अधिनियम में उनसे निर्दिष्ट तदनुरूप अर्थ होगा।

3. ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों के श्रेणीकरण हेतु रूपरेखा :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय–समय पर विस्तृत दिशानिर्देशों के माध्यम से विश्वविद्यालयों को अधिसूचित उप खंडों **(i)**, **(ii)** तथा **(iii)** में निर्धारित मानदण्डों के आधार पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों अर्थात् श्रेणी–**I**, श्रेणी–**II** तथा श्रेणी–**III** में श्रेणीबद्ध करेगा।

(i) **श्रेणी–I का विश्वविद्यालय :**

वह विश्वविद्यालय श्रेणी–**I** में होगा यदि

(क) उसे एन.ए.ए.सी. द्वारा **3.51** अथवा अधिक अंकों द्वारा प्रत्यायित किया गया हो; अथवा

(ख) उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध प्रतिष्ठित प्रत्यायित एजेंसी द्वारा समान प्रत्यायन ग्रेड/अंक प्राप्त किया है; अथवा

(ग) उसे टाइम्स हॉयर एजूकेशन अथवा क्यू.एस. की प्रतिष्ठित विश्व रैंकिंग के अधिकतम **500** में से रैंक दिया गया है।

(ii) **श्रेणी–II का विश्वविद्यालय :**

वह विश्वविद्यालय श्रेणी–**II** में होगा यदि

(क) उसे एन.ए.ए.सी. द्वारा **3.26** तथा अधिक तथा **3.50** तक के अंक से प्रत्यायित किया गया है; अथवा

(ख) उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध प्रतिष्ठित प्रत्यायित एजेंसी द्वारा समान प्रत्यायन ग्रेड/अंक प्राप्त किया है;

(iii) **श्रेणी–III का विश्वविद्यालय :**

कोई भी विश्वविद्यालय श्रेणी–**III** में आएगा यदि वह श्रेणी–**I** तथा श्रेणी–**II** के अधीन नहीं आता है।

4. श्रेणी–I विश्वविद्यालयों के लिए स्वायत्तता के आयाम :–

4.1 विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, **1956** की धारा **12 ख** के अधीन स्वतः मान्यता प्राप्त होंगे तथा उसके लिए आयोग द्वारा किसी भी प्रकार के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

4.2 विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त किए बिना नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/विभाग/स्कूल/केन्द्र आरंभ कर सकते हैं जो उनके वर्तमान अकादमिक नियमों के अंग हों, बशर्तें यदि नये पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/विभाग/स्कूल/ केन्द्र को शुरू करने के लिए सरकार से अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी। उपाधि कार्यक्रम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित नामों के अनुरूप होंगे। जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, उसके सांविधिक प्राधिकारियों अथवा सांविधिक विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को नवीन तथा नवोन्मेष क्षेत्रों में, जो स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप हों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जानकारी प्रदान कर आरंभ किया जा सकता है :

बशर्ते सरकारी स्वामित्व वाले मानित विश्वविद्यालयों को स्व–वित्तपोषित नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/विभाग/स्कूल के लिए अनुदान प्राप्ति हेतु सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4.3 विश्वविद्यालय अपने भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन के बिना संघटक इकाई/सुदूर कैम्पस केन्द्र खोल सकता है, बशर्ते कि वह आवर्ती तथा अनावर्ती राजस्व स्रोत की व्यवस्था कर सके तथा इसके लिए उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता की अपेक्षा न हो।

4.4 विश्वविद्यालय राष्ट्रीय दक्षता योग्यता नियमों (नेशनल स्किल्स क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क) नियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति के बिना दक्षता कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, बशर्तें नये पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग न हो। उपाधि कार्यक्रमों के नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदित नामों के अनुरूप होने चाहिये। सांविधिक प्राधिकारियों अथवा सांविधिक विनियामक प्राधिकारियों द्वारा, जहाँ कहीं आवश्यक हो, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उन नवीन तथा नवोन्मेष क्षेत्रों में आरंभ किए जा सकते हैं जो स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता से संबंधित हों, इसकी सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दी जाए।

4.5 विश्वविद्यालय अनुसंधान पार्क, उदभवन केन्द्र, विश्वविद्यालय समाज सम्बद्ध केन्द्रों स्व–वित्तपोषित माध्यम में अथवा स्वयं या निजी साझेदारी के साथ आयोग के अनुमोदन के बिना खोल सकते हैं। तथापि, उस संस्थान के संसाधनों के माध्यम से प्राप्त सभी चल और अचल सम्पत्ति के घटक पर विश्वविद्यालय का स्वामित्व रहेगा।

4.6 विश्वविद्यालय, भारत सरकार के नियम, विनियम तथा दिशानिर्देशों के अनुसार आयोग की अनुमति के बिना विदेशी संकाय को आमंत्रित कर सकता है, जिसने किसी ऐसी संस्था में अध्यापन किया हो जो विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग नियमों के अन्तर्गत शीर्ष **500** संस्थानों में आते हैं जैसे कि टॉइम्स उच्चतर शिक्षा विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग अथवा क्यू.एस. रेंकिंग के माध्यम से चुना गया हो। यह स्वीकृत संकाय की कुल संख्या से ऊपर **20** प्रतिशत तक हो सकती है। विश्वविद्यालय अपने शासी/सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित निबंधन और शर्तों के अनुसार ''आवधिक/संविदा'' के आधार पर विदेशी संकाय को रखने के लिए स्वतंत्र होंगे।

4.7 विश्वविद्यालय योग्यता के आधार पर विदेशी छात्रों को प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र होंगे, बशर्ते उनकी संख्या, अनुमोदित स्वदेशी छात्रों की संख्या के ऊपर **20** प्रतिशत से अधिक न हो। विश्वविद्यालय विदेशी छात्रों से बिना किसी प्रतिबन्ध के शुल्क प्रभार निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

4.8 आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान का पालन करते हुए विश्वविद्यालय प्रतिभाशाली संकाय को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहनपरक वेतन संरचना बनायेंगे जिसका भुगतान उन्हें आयोग अथवा सरकारी अनुदान के बजाय अपने राजस्व स्रोतों से करना होगा। यह प्रोत्साहन वेतन संरचना स्पष्टतः योग्यता आधारित, पारदर्शी तथा सार्वभौमिक न होकर उद्देश्यपरक होगी। इसका अनुमोदन संस्थान की सीनेट/सिंडीकेट/कार्यकारी परिषद् जैसी सांविधिक निकायों के अतिरिक्त अकादमिक परिषद् तथा वित्त परिषद् से भी आवश्यकतानुसार लेना अनिवार्य होगा। सभी सांविधिक निकायों के अनुमोदन के **30** दिनों के भीतर इसकी सूचना आयोग को देनी होगी।

4.9 विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारतीय तथा विदेशी शैक्षिक संस्थानों के मध्य अकादमिक सहयोग के मानकों की प्रोन्नति तथा अनुरक्षण) विनियम, **2016** के अनुसार टाइम्स उच्चतर शिक्षा वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग अथवा क्यू.एस. रैंकिंग के शीर्ष **500** विदेशी संस्थानों में से किसी संस्थान अथवा टाइम्स उच्चतर शिक्षा वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग अथवा क्यू.एस. रैंकिंग के शीर्ष **200** विधा विशेष से अकादमिक सहयोग के लिए आयोग के अनुमोदन के बिना सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं।

4.10 विश्वविद्यालय, आयोग के अनुमोदन के बिना मुक्त और दूरस्थ शिक्षा माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित कर सकता है, बशर्ते वह यथासंशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, **2017** के अनुसार निर्धारित सभी शर्तों को पूर्ण करें।

4.11 विश्वविद्यालयों को धारा **3.3** के अधीन निर्धारित यथासंशोधित नियमों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में संस्थापना तथा अनुरक्षण (रखरखाव) के मानक) विनियमों, **2003** के अनुसार अपने सुदूर कैम्पस अथवा अध्ययन केन्द्रों की वार्षिक निगरानी करने से छूट होगी, सिवाय उस स्थिति के जब न्यूनतम शर्तों को पूरा नहीं करने अथवा अनियमितता एवं कदाचार के पर्याप्त सबूत उपलब्ध हों।

4.12 यदि आयोग किसी विधान अथवा कार्यकारी आदेश के अनुसार बाह्य समीक्षा चाहता है तो संस्थान द्वारा निर्धारित समीक्षा प्रारूप में रिपोर्ट भेजना पर्याप्त होगा।

5. श्रेणी–II विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के लिए आयाम :–

5.1 सभी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त किए बिना नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/विभाग/स्कूल/केन्द्र आरंभ कर सकते हैं जो उनके वर्तमान अकादमिक नियमों के अंग हों, बशर्ते यदि नये पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/विभाग/स्कूल/ केन्द्र को शुरू करने के लिए सरकार से अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी। उपाधि कार्यक्रम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित नामों के अनुरूप होंगे। जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, उसके सांविधिक प्राधिकारियों अथवा सांविधिक विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को नवीन तथा नवोन्मेष क्षेत्रों में, जो स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप हों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जानकारी प्रदान कर आरंभ किया जा सकता है :

बशर्ते सरकारी स्वामित्व वाले मानित विश्वविद्यालयों को स्व–वित्तपोषित नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/विभाग/स्कूल के लिए अनुदान प्राप्ति हेतु सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

5.2 मानित विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा सुदूर कैम्पस केन्द्रों को शुरू करने की अनुमति प्रदान करते समय आयोग के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है, यह छूट प्रत्येक पाँच वर्षों में दो सुदूर कैम्पस केन्द्र खोलने की शर्त के अध्यधीन होगा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मानित विश्वविद्यालय) विनियम, **2016** तथा समय–समय पर संशोधनों, यदि कोई हों, में निर्धारित शर्तों के अनुसार होगा।

5.3 विश्वविद्यालय राष्ट्रीय दक्षता योग्यता नियमों (नेशनल स्किल्स क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क) नियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति के बिना दक्षता कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, बशर्तें नये पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग न हो। उपाधि कार्यक्रमों के नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदित नामों के अनुरूप होने चाहिये। सांविधिक प्राधिकारियों अथवा सांविधिक विनियामक प्राधिकारियों द्वारा, जहाँ कहीं आवश्यक हो, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उन नवीन तथा नवोन्मेष क्षेत्रों में आरंभ किए जा सकते हैं जो स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता से संबंधित हों, इसकी सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दी जाए।

5.4 विश्वविद्यालय, भारत सरकार के नियम, विनियम तथा दिशानिर्देशों के अनुसार आयोग की अनुमति के बिना विदेशी संकाय को आमंत्रित कर सकता है, जिसने किसी ऐसी संस्था में अध्यापन किया हो जो विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग नियमों के अन्तर्गत शीर्ष **500** संस्थानों में आते हैं जैसे कि टॉइम्स उच्चतर शिक्षा विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग अथवा क्यू.एस. रेंकिंग के माध्यम से चुना गया हो। यह स्वीकृत संकाय की कुल संख्या से ऊपर **20** प्रतिशत तक हो सकती है। विश्वविद्यालय अपने शासी/सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित निबंधन और शर्तों के अनुसार ''आवधिक/संविदा'' के आधार पर विदेशी संकाय को रखने के लिए स्वतंत्र होंगे।

5.5 आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान का पालन करते हुए विश्वविद्यालय प्रतिभाशाली संकाय को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहनपरक वेतन संरचना बनायेंगे जिसका भुगतान उन्हें आयोग अथवा सरकारी अनुदान के बजाय अपने राजस्व स्रोतों से करना होगा। यह प्रोत्साहन वेतन संरचना स्पष्टतः योग्यता आधारित, पारदर्शी तथा सार्वभौमिक न होकर उद्देश्यपरक होगी। इसका अनुमोदन संस्थान की सीनेट/सिंडीकेट/कार्यकारी परिषद् जैसी सांविधिक निकायों के अतिरिक्त अकादमिक परिषद् तथा वित्त परिषद् से भी आवश्यकतानुसार लेना अनिवार्य होगा। सभी सांविधिक निकायों के अनुमोदन के **30** दिनों के भीतर इसकी सूचना आयोग को देनी होगी।

5.6 विश्वविद्यालय योग्यता के आधार पर विदेशी छात्रों को प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र होंगे, बशर्ते उनकी संख्या, अनुमोदित स्वदेशी छात्रों की संख्या के ऊपर **20** प्रतिशत से अधिक न हो। विश्वविद्यालय विदेशी छात्रों से बिना किसी प्रतिबन्ध के शुल्क प्रभार निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

5.7 विश्वविद्यालय, आयोग के अनुमोदन के बाद मुक्त और दूरस्थ शिक्षा माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित कर सकता है, बशर्ते वह यथासंशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, **2017** के अनुसार निर्धारित सभी शर्तों को पूर्ण करें।

5.8 यदि किसी विधान अथवा कार्यकारी आदेश के अधीन आयोग द्वारा किसी बाह्य समीक्षा की आवश्यकता हो, तो समीक्षा स्वयं संस्था द्वारा बाह्य समकक्ष समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से कराई जा सकती है, जिसमें समकक्ष समूह के सदस्य श्रेणी–**I** के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों में से संस्थान द्वारा स्वयं चुने जायेंगे तथा समीक्षा रिपोर्ट समीक्षा पूरी करने के बाद आयोग को भेज दी जायेगी।

6. उप–खंड 3 में यथा परिभाषित प्रत्यायन अंक अथवा रैंकिंग का रखरखाव न करने के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों का श्रेणी परिवर्तन

6.1 श्रेणी–**I** तथा श्रेणी–**II** के अधीन विश्वविद्यालय अपनी संबंधित श्रेणियों में तब तक बने रहेंगे जब तक वे उस श्रेणी के लिए उप–खंड **3** में यथा परिभाषित प्रत्यायन अंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय रैंकिंग, जैसा भी मामला हो, से संबंधित आवश्यक मानदण्डों को पूरा करते हैं।

6.2 विश्वविद्यालय के लिए यह आवश्यक होगा कि अपने परिवर्तित दर्जे के विषय में **30** दिनों के भीतर आयोग को सूचित करे।

6.3 यदि विश्वविद्यालय एक श्रेणी में स्तर को बनाये रखने में असफल रहता है और उससे निम्न श्रेणी में चला जाता है तो परिवर्तित तिथि से पूर्व श्रेणी की सुविधाओं का हकदार नहीं होगा :

बशर्ते पूर्व में उच्चतर स्तर के साथ संबद्ध सुविधाओं से जुड़े विशेषाधिकार के तहत की गई किसी भी प्रकार की पहल को जारी रहने की अनुमति होगी जब तक उनकी अनुमोदित अवधि/तर्कपूर्ण समापन नहीं हो जाता है, बशर्ते कि प्रारम्भ किए गए क्रियाकलाप/आरंभ की गई कार्रवाई के विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पहले ही सूचित कर दिया गया गया हो :

बशर्ते यह भी कि यदि ऐसा विश्वविद्यालय अपना पूर्व उच्चतर स्तर पुनः प्राप्त कर लेता है, तो उस उच्चतर श्रेणी की सुविधाओं को दर्जे में परिवर्तन होने की तिथि से पुनः बहाल कर दिया जाएगा।

7. विश्वविद्यालयों के श्रेणीकरण की प्रक्रिया :

7.1 आयोग द्वारा निर्धारित तिथि (वर्ष में कम से कम दो बार, संभवतः **1** जून तथा **1** दिसंबर) के दौरान संस्थान इन विनियमों के अधीन श्रेणीकरण के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। निर्धारित तिथि की अधिसूचना छह माह पूर्व जारी की जायेगी।

7.2 ऐसे सभी आवेदन पत्रों की संवीक्षा आयोग द्वारा की जायेगी तथा श्रेणीकरण का आदेश आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए निर्धारित तिथि से 30 दिनों के भीतर पारित किया जायेगा। इस अवधि के दौरान आयोग इस प्रकार के आवेदन को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा।

8. विश्वविद्यालयों की श्रेणी–I अथवा श्रेणी–II के अधीन पात्रता के लिए मापदण्डों/अपेक्षाओं, यदि कोई हों तो, में परिवर्तन

जैसा कि उपरोक्त विनियम (3) में यथावर्णित श्रेणीकरण के मापदण्डों में जब कोई परिवर्तन होता है, तो इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जायेगा।

9. अन्य विनियमों की तुलना में ग्रेडेड स्वायत्त विनियम

इन विनियमों के उप खंड 4 तथा 5 में वर्णित स्वायत्तता के आयाम श्रेणी–I एवं श्रेणी–II के विश्वविद्यालयों में यथा वर्णित उपबन्धों से किसी अन्य विनियम की असंगतता अथवा परस्पर विरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर ये विनियम प्रभावी होगा।

10. समस्याओं का समाधान

भारत सरकार/मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन विनियमों के कार्यान्वयन में आने वाली समस्या/ओं के समाधान हेतु पूर्णरूपेण अधिकृत है।

पी. के. ठाकुर, सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./427/17]

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(UNIVERSITY GRANTS COMMISSION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2018

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION [CATEGORISATION OF UNIVERSITIES (ONLY) FOR GRANT OF GRADED AUTONOMY] REGULATIONS, 2018

F. No. 1-8-2017(CPP-II).—The following is published for general information :—

Preamble

Whereas University Grants Commission (UGC) is mandated to determine, promote and maintain the standards of higher education in higher educational institutions (HEIs);

Whereas, UGC recognizes the need to create an enabling environment whereby HEIs can become institution of global excellence;

Whereas, UGC recognizes that autonomy is pivotal to promoting and institutionalizing excellence in higher education and that the regulatory framework needs to facilitate better performing institutions towards excellence in higher education.

Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (j) of Section 12 read with clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission hereby makes the following regulations:-

1. Short title, application and commencement –

(1) These regulations shall be called the University Grants Commission (Categorization of Universities (only) for Grant of Graded Autonomy) Regulations, 2018.

(2) They shall apply to all universities established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act, or a State Act and any Institution Deemed to be University under Section 3 of UGC Act, 1956.

(3) They shall come into force from the date of their notification in the Official Gazette of India.

2. Definitions–

In these regulations, unless the context otherwise requires—

(a) "Accreditation" means the process of quality control in higher education, whereby, as a result of evaluation or assessment or by any other scientific method followed by recognized accreditation agencies, an HEI or programme(s) conducted therein is recognised as conforming to benchmarked parameters of academic quality;

(b) "Assessment" means the process involved in ascertaining or verifying the capabilities of an HEI in terms of its physical infrastructure, human resources (including faculty), administration, course curricula, admission and student evaluation procedures and governance structure prior to the commencement of its academic programmes;

(c) "Commission" means the University Grants Commission as defined in the University Grants Commission Act, 1956;

(d) "CGPA" means cumulative grade point average grading system as followed by NAAC or any other Assessment and Accreditation Agencies (AAA) recognized by the Commission under relevant UGC regulations, while granting accreditation;

(e) "National Assessment and Accreditation Council (NAAC)" means the body established by the Commission to assess and accredit HEIs in the country;

(f) "Open & Distance Learning" mode means a mode of providing flexible learning opportunities by overcoming separation of teacher and learner using a variety of media, including print, electronic, online and occasional interactive face-to-face meetings with the presence of an HEI or Learner Support Services to deliver teaching-learning experiences, including practical or work experiences;

(g) "Times Higher Education/QS Rankings" means annual publication of university rankings by Times Higher Education (THE) magazine and by Quacquarelli Symonds (QS);

(h) "University" means University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, and includes an institution deemed to be university;

Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the University Grants Commission Act, 1956 and not consistent with these regulations shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Framework for Categorization of Universities for Grant of Graded Autonomy

The Commission shall categorize Universities into following three categories i.e. Category-I, Category-II and Category-III based on the parameters laid down in sub-clauses (i), (ii) and (iii) and as notified by the Commission through detailed guidelines from time to time.

(i) Category-I University:

University shall be in Category-I if

a. It has been accredited by NAAC with a score of 3.51 or above; or

b. It has received a corresponding accreditation grade/score from a reputed accreditation agency empanelled by the UGC; or

c. It has been ranked among top **500** of reputed world rankings, such as Times Higher Education or QS.

(ii) Category-II University:

University shall be in Category-II if

a. It has been accredited by NAAC with a score of 3.26 and above, upto 3.50; or

b. It has received a corresponding accreditation grade/score from a reputed accreditation agency empanelled by the UGC;

(iii) Category-III University:

University shall be in Category-III if it does not come either under Category-I or Category-II.

4. Dimensions of Autonomy for Category-I Universities

4.1 Universities shall be automatically deemed to be under section 12B of the University Grants Commission Act, 1956 and no inspections by the Commission shall be required for the same.

4.2 Universities may start a new course/programme/department/school/centre in disciplines that form a part of its existing academic framework without approval of the UGC, provided no demand for fund is made from the government on account of starting the new course/programme/department/school/ centre. Degree programs shall be consistent with the approved nomenclature of the UGC. Diploma and certificate courses approved by its Statutory Authorities or Statutory Regulatory Authorities wherever required, may be started in new and innovative areas that are relevant to local, national or international needs, with information to the UGC :

Provided that for Government owned Deemed to be Universities, approval shall be taken from the Government if funding is sought from the Government for starting a new course/programme/ department/school in self-financing mode.

4.3 Universities may open constituent units/off-campus centres within its geographical jurisdiction, without the approval of the UGC, provided it is able to arrange both recurring and non-recurring revenue sources and does not need any assistance for the same from the UGC or the Government.

4.4 Universities may start skill courses, consistent with the National Skills Qualification Framework, without approval of the UGC, provided no demand for fund is made from the government on account of starting the new courses. Degree programmes shall be consistent with the approved nomenclature of UGC. Diploma and certificate courses approved by its Statutory Authorities or Statutory Regulatory Authorities wherever required, may be started in new and innovative areas that are relevant to local, national or international needs, with information to the UGC.

4.5 Universities may open research parks, incubation centres, university society linkage centres, in self-financing mode, either on its own or in partnership with private partners, without approval of Commission. However, in all such arrangements, the ownership of all immovable property and that component of movable property procured through the resources of the Institution shall remain with the University.

4.6 Universities, subject to the Rules, Regulations and Guidelines of Government of India, may hire, without approval of the Commission, foreign faculty having taught at any institution appearing in top five hundred of any of the world renowned ranking frameworks, such as the Times Higher Education World University Rankings or the QS Rankings, upto twenty percent over and above of their total sanctioned faculty strength. Universities will have the freedom to hire foreign faculty on "tenure/contract" basis as per the terms and conditions approved by their Governing Council/Statutory bodies.

4.7 Universities shall be free to admit foreign students on merit, subject to a maximum of twenty percent, over and above of the strength of their approved domestic students. Universities would be free to fix and charge fees from foreign students without any restriction.

4.8 Universities, while following the pay scales as laid down by the Commission, shall build in an incentive structure to attract talented faculty, with the condition that the incentive structure shall have to be paid from their own revenue sources and not from Commission or Government funds. Such incentive structure shall be strictly merit based with clear defined, transparent and objective criteria and shall not be universal. It must necessarily be approved by both the Academic Council and the Finance Committee of the Institution, apart from Statutory Bodies like Senate/Syndicate/Executive Council, as the case may be. The Commission shall be informed of the incentive structure within thirty days of approval by the statutory bodies of the Institution.

4.9 Universities may engage in academic collaborations with foreign educational institutions, as per the UGC (Promotion and Maintenance of Standards of Academic Collaboration between Indian and Foreign Educational Institutions) Regulations, 2016, without approval of the Commission with foreign institutions in top 500 of Times Higher Education World University Rankings or QS Rankings or top 200 of discipline specific ranking in Times Higher Education World University Rankings or QS Rankings.

4.10 Universities may offer courses in the Open and Distance Learning mode, without approval of the Commission, provided it satisfies all the conditions laid down under UGC (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 and amendments from time to time.

4.11 Universities shall be exempted from annual monitoring of their off-campus centre(s) and / or the study centre(s), as stipulated under Section 3.3 of the UGC (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003 as amended /modified from time to time, except when there is substantive evidence of their not meeting basic minimum criteria or of irregularities or malpractices.

4.12 In case there is any external review required by the Commission under any statute or executive order, then it would be sufficient that the institution sends a report to the Commission in a prescribed review format.

5. Dimensions of Autonomy for Category-II Universities

5.1 Universities may start a new course/programme department/school/centre in disciplines that form a part of its existing academic framework without approval of the UGC, provided no demand for fund is made from the government on account of starting the new course/programme/department/school/centre. Degree programs shall be consistent with the approved nomenclature of the UGC. Diploma and certificate courses approved by its Statutory Authorities or Statutory Regulatory Authorities wherever required, may be started in new and innovative areas that are relevant to local, national or international needs, with information to the UGC :

Provided that for Government owned Deemed to be Universities, approval shall be taken from the Government if funding is sought from the Government for starting a new course/programme/department/school in self-financing mode.

5.2 While according permission of starting off campus centers by Institutions Deemed to be Universities, no inspection of the Commission shall be required. This concession shall be subjected to opening two off-campus centres in every five years and as stipulated in the UGC (Deemed to be Universities) Regulations, 2016 and amendments, if any, from time to time.

5.3 Universities may start skill courses, consistent with the National Skills Qualification Framework, without approval of the UGC, provided no demand for fund is made from the government on account of starting the new courses. Degree programmes shall be consistent with the approved nomenclature of UGC. Diploma and certificate courses approved by its Statutory Authorities or Statutory Regulatory Authorities wherever required, may be started in new and innovative areas that are relevant to local, national or international needs, with information to the UGC.

5.4 Universities, subject to the Rules, Regulations and Guidelines of the Government of India, may hire, without approval of the Commission, foreign faculty having taught at any institution appearing in top five hundred of any of the world renowned ranking frameworks, such as the Times Higher Education World University Rankings or the QS Rankings, upto twenty percent over and above of their total sanctioned faculty strength. Universities will have the freedom to hire foreign faculty on "tenure/contract" basis as per the terms and conditions approved by their Governing Council/Statutory bodies.

5.5 Universities, while following the pay scales as laid down by the Commission, shall build in an incentive structure to attract talented faculty, with the condition that the incentive structure shall have to be paid from their own revenue sources and not from Commission or Government funds. Such incentive structure shall be strictly merit based with clear defined, transparent and objective criteria and should not be universal. It must necessarily be approved by both the Academic Council and the Finance Committee of the Institution, apart from Statutory Bodies like Senate/Syndicate/Executive Council, as the case may be. The Commission shall be informed of the incentive structure within thirty days of approval by the statutory bodies of the Institution.

5.6 Universities shall be free to admit foreign students on merit subject to a maximum of twenty percent, over and above of the strength of their approved domestic students. Universities would be free to fix and charge fees from foreign students without any restriction.

5.7 Universities may offer courses in the Open and Distance Learning mode, with approval of the Commission, provided it satisfies all the conditions laid down under UGC (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 and amendments from time to time.

5.8 In case there is any external review required by the Commission under any statute or executive order, than the review can be done by the institution itself through external peer review mechanism wherein the per team members shall be chosen by the institution themselves from representatives of Category-I Universities, and the review report shall be sent to the commission after completion of the review.

6. Change in Category of Universities for non-maintenance of accreditation score or ranking as defined in Clause 3.

6.1 Universities under Category-I and Category-II shall continue to be in their respective categories as long as they maintain the required parameters related to accreditation score or international ranking as defined in Clause 3, as the case may be, for that category.

6.2 It shall be incumbent upon university to intimate the Commission its changed status within thirty days of such a change.

6.3 If university fails to maintain status in a category and moves down to a lower category, it shall not be entitled to enjoy any privileges already accorded to it from the day of such downgrading :

Provided that any kind of initiatives taken under the privileges associated with erstwhile higher status shall be permitted to continue till their approved duration / logical conclusion, provided that the activity / action initiated has been communicated previously to the UGC :

Provided further that if such university regains back its earlier higher status, the privileges of that higher category shall be restored from the day the status is changed.

7. Procedure for Categorization of Universities

7.1 The Commission shall fix dates (at least two times in a year, preferably 1st of June and 1st of December) by which an institution shall submit a request in prescribed format for categorization under these Regulations. The dates so fixed shall be notified at least six months in advance.

7.2 All such applications shall be scrutinized by the Commission and orders on Categorization shall be passed within thirty days from the last date specified for the receipt of such applications. During this period, the Commission shall also place such application on its website.

8. **Change in parameters/requirements, if any, for eligibility under category-I or category-II of Universities.**

Whenever there is a change in the categorization parameters as detailed in Regulation (3) above, it shall be notified by the UGC separately.

9. **Graded Autonomy Regulations vis-à-vis other Regulations**

The provisions mentioned in the clause 4 and 5 of the Regulations i.e. dimensions of autonomy for Category-I Universities and Category-II Universities respectively, shall prevail in case of any inconsistent/conflicting provisions in the other UGC Regulations.

10. **Removal of Difficulties**

UGC reserves the right to remove difficulty/difficulties in the course of implementation of these Regulations in consultation with the Government of India /Ministry of Human Resource Development.

P. K. THAKUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./427/17]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.02.12 19:23:57 +05'30'